भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 917
30 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में एडवांस एचआईवी रोग

917. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) को एकीकृत करने की योजना है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;
(ग) बिहार सहित देश में इलाज किए गए एडवांस एचआईवी रोग (एएचडी) से पीड़ित कुल रोगियों की संख्या कितनी है; और
(घ) देश में एएचडी के लिए उपचार प्रदान करने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या कितनी है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2014 से ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन है।

(ग) और (घ): ऐसे एचआईवी पीडित लोग (पीएलएचआईवी) जिनकी परिचर्या/उपचार के लिए प्रस्तुत किए जाने के समय सीडी4 गणना 200 कोशिका/मिमी3 से कम है या जो डब्ल्यूएचओ नैदानिक चरण 3 या 4 में हैं, उन्हें उन्नत एचआईवी रोग(एएचडी) के रूप में चिन्हित किया जाता है।

जून, 2024 तक, कार्यक्रम के तहत लगभग 3.17 लाख पीएलएचआईवी को सीडी4 सेल काउंट टेस्ट के अंतिम रिकॉर्ड के अनुसार एएचडी से पीड़ित पाया गया है। बिहार में लगभग 5,600 लोगों को सीडी4 सेल काउंट टेस्ट के अंतिम रिकॉर्ड के अनुसार एएचडी से पीड़ित पाया गया। एएचडी के प्रबंधन के लिए, देश में 784 एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी केंद्र निःशुल्क और आजीवन उपचार प्रदान कर रहे हैं और उत्कृष्टता केंद्रों से रेफरल लिंकेज प्रदान कर रहे हैं।

*****